

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर चौमू

2022/128

भगवान लक्ष्मण बनाम कुलदिव वर्ग

दमा संख्या / वर्ष T.I. : 57 / 2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अन्तर्गत द्वारा 212 रा. अ. अ.	
	20/7/22	सत्यनारायण सेनी वकील ने प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। रिपोर्ट के फुले हैं। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर की वजह वकील प्राणी एकपक्षीय चुने गयी। उक्त पत्र को परिसर अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा से इन छद्म पाबन्द किया जाता है कि विवादित भा.ख. नं. 1698/526 रुबा 0.10 है। भूमि वाले ग्राम छिरानपुरा तह. चौमू जिला जयपुर के भांगे की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थीगण को परिसर रजि. अ. नं. नैथिल वानील करवा कर गमिल रिपोर्ट मय Tracking report आगामी तारीख पेशी से पूर्व पेश किया जाना सुनिश्चित करें। यदि गमिल रिपोर्ट तय समय पर प्राप्त नहीं होती है तो यथास्थिति के आदेश स्वतः खारिज समझे जावे इसमें नोट आपत्ति है ही प्रशासी दिनांक 08/9/22 को पेश करी तलबी जारी की 882	
	8/9/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 2/11/22 को पेश हो।	
	3/11/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अधिम कार्यवाही हेतु दिनांक 4/11/22 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर)

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>कार्यवाही नहीं चलाई है। सा.पत्र व पत्रावली का अपलोड किया। सा.पत्र सिद्धा का स्वीकार किया जाना उचित माना जाता है। अतः सा.पत्र सिद्धा का स्वीकार किया जाना पत्रावली नम्बर 6 का ही दायित्व दायित्व है।</p>	
		<p>सहायक कलक्टर चौहूँ (नियपुर)</p>	